न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी अमीलाल यादव आर. ए. एस.

राजस्व वाद संख्या :– 96/2025

1. सुगन कंवर पत्नी मोहन सिंह आयु 76 वर्ष जाति राजपूत, निवासी ग्राम ऊंटालड़ तहसील– बीदासर, जिला– चूरू, हाल निवासी गांधी बस्ती, वर्तमान वार्ड न. 59, सुजानगढ़, तहसील– सुजानगढ़, जिला– चूरू, राजस्थान
2. प्रहलाद सिंह पुत्र मोहन सिंह आयु 36 वर्ष जाति राजपूत,निवासी ग्राम ऊंटालड़ तहसील– बीदासर, जिला– चूरू, हाल निवासी गांधी बस्ती, वर्तमान वार्ड न. 59, सुजानगढ़, तहसील– सुजानगढ़, जिला– चूरू, राजस्थान

................वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार बीदासर, जिला– चूरू राजस्थान
2. उम्मेद सिंह पुत्र चतरसिंह राजपूत निवासी ग्राम ऊंटालड़ तह– बीदासर जिला– चूरू, राजस्थान
3. करणीसिंह पुत्र रामसिंह राजपूत निवासी ग्राम ऊंटालड़ तह– बीदासर, जिला– चूरू, राजस्थान
4. गोविन्दसिंह पुत्र मोहनसिंह राजपूत निवासी ग्राम ऊंटालड़ तह–बीदासर जिला– चूरू, राजस्थान
5. चैनसिंह पुत्र चतरसिंह राजपूत, निवासी ग्राम ऊंटालड़ तह– बीदासर जिला– चूरू, राजस्थान
6. धापूकंवर पत्नी रामसिंह राजपूत निवासी ग्राम ऊंटालड़ तह– बीदासर जिला– चूरू, राजस्थान
7. भंवर सिंह पुत्र रामसिंह राजपूत, निवासी ग्राम ऊंटालड़ तह– बीदासर जिला– चूरू, राजस्थान
8. राजुसिंह पुत्र मोहनसिंह राजपूत निवासी ग्राम ऊंटालड़ तह– बीदासर जिला– चूरू, राजस्थान
9. सुरज्ञान कंवर पत्नी उम्मेदसिंह राजपूत निवासी ग्राम ऊंटालड़ तह– बीदासर जिला– चूरू, राजस्थान
10. श्रीमान् शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सुजानगढ़ तह–सुजानगढ जिला– चूरू, राजस्थान
11. श्रीमान् शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा गेडाप तहसील–सुजानगढ़ जिला– चूरू, राजस्थान

..........प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक

उपस्थितः–(1) विद्वान अधिवक्ता श्री गोवर्धन सिंह राठौड़ वादीगण की ओर से

(2) विद्वान अधिवक्ता श्री अमर सिंह राठौड़ प्रतिवादी सं. 2 ता 9 की ओर से

(3) प्रतिवादी सं. 10 व 11 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही

(2) राजपैरोकार उपस्थित

दिनांक 17/7/25

–: निर्णय :–

दावे के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के नाम से खेत खसरा संख्या 162 (एक सौ बासठ) भूमि तादादी 9.8768 (नौ पोइन्ट आठ सात छः आठ) हैक्टेयर, खेत खसरा संख्या 33 खेड़ा (तैंतीस) भूमि तादादी 3.1489 (तीन पोइन्ट एक चार आठ नौ) हैक्टेयर, खेत खसरा संख्या 95 (पिचानवे) भूमि तादादी 7.1579 (सात पोइन्ट एक पांच सात नौ) हैक्टेयर,

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला–चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

वाके रोही ऊंटालड़ तहसील– बीदासर, जिला– चूरू, राजस्थान में वादीगण एवं प्रतिवादीगण स. 2 ता 9 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त, उपयोग उपभोग में चली आ रही है। जिसमें मुताबिक रिकॉर्ड वादी संख्या 1 का 1/65 हिस्सा तथा वादी संख्या 2 का 4/65 हिस्सा भूमि है। वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में उपरोक्त खसरेजात की भूमि की खातेदारी वादी संख्या 1 सुगनाकंवर पत्नी मोहनसिंह तथा वादी संख्या 2 पहलादसिंह पुत्र मोहनसिंह के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी चली आ रही है जो अशुद्ध है वादीगण के पति व पिता मोहनसिंह का स्वर्गवास हुआ उस समय राजस्व कर्मचारियों ने भूलवश वादी संख्या 1 का नाम सुगनाकंवर पत्नी मोहनसिंह तथा वादी संख्या 2 का नाम पहलादसिंह पुत्र मोहनसिंह दर्ज कर दिया जबकि वादी संख्या 1 का शुद्ध नाम सुगन कंवर पत्नी मोहन सिंह तथा वादी संख्या 2 का शुद्ध नाम प्रहलाद सिंह पुत्र मोहन सिंह था । वादी संख्या 1 के अन्य सभी सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड (आ. न. 4873 5285 9413), जनआधार कार्ड (4805184515), राशन कार्ड (105200100722), पहचान पत्र (KWQ/1435619) में वादी संख्या 1 का नाम सुगन कंवर पत्नी मोहन सिंह तथा वादी संख्या 2 का अन्य सभी सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड (आ. न. 9612 2277 3782), जनआधार कार्ड (4805184515), राशन कार्ड (105200100722), पहचान पत्र (XKA/0205112), पेन कार्ड (SDUPS4611C)में वादी संख्या 1 का नाम प्रहलाद सिंह पुत्र मोहन सिंह दर्ज है जो सही व शुद्ध है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वादी संख्या 1 का नाम सुगनाकंवर पत्नी मोहनसिंह तथा वादी संख्या 2 का नाम पहलादसिंह पुत्र मोहनसिंह अशुद्ध होने के कारण वादीगण गलत राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करवाकर वादीगण अपना सही व शुद्ध नाम वादी संख्या 1 सुगन कंवर पत्नी मोहन सिंह तथा वादी संख्या 2 प्रहलाद सिंह पुत्र मोहन सिंह की घोषणा करवाने के अधिकारी है। गलत राजस्व रिकॉर्ड के रहते हुवे वादीगण को अपूर्तिय क्षति होगी और वादीगण को सरकारी लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। वादीगण ने दिनांक 10.06.2025 (दस जून दो हजार पच्चीस) को प्रतिवादी संख्या 01 से निवेदन किया कि आप वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में वादी संख्या 1 का नाम सुगनाकंवर पत्नी मोहनसिंह तथा वादी संख्या 2 का नाम पहलादसिंह पुत्र मोहनसिंह अशुद्ध दर्ज है को सही व दुरूस्त कर सही नाम वादी संख्या 1 का सुगन कंवर पत्नी मोहन सिंह तथा वादी संख्या 2 का प्रहलाद सिंह पुत्र मोहन सिंह दर्ज कर देवें तो प्रतिवादी संख्या 1 ने इन्कार कर दिया। जिस पर वादी ने दावा पेश किया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया।प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन पंजीकृत डाक से तलब किया गया प्रतिवादीगण संख्या 10 व 11 न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।वादी के साथ प्रतिवादीगण संख्या 2,3,4,5,6,7,8 व 9 ने दिनांक 08.07.2025 को न्यायालय में राजीनामा पेश किया जो न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया।राजपैरोकार ने अपना जवाब राज्य हित निहित नहीं होना अंकित किया।

वहस अंतिम सुनी गयी, वादीगण के अधिवक्ता ने दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी संख्या 1 का शुद्ध नाम सुगन कंवर पत्नी मोहन सिंह तथा वादी संख्या 2 का शुद्ध नाम प्रहलाद सिंह पुत्र मोहन सिंह जो संलग्न दस्तावेजात से साबित है, वादीगण का दावा डिक्री किया जावे। हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक सुक्षमता से अवलोकन किया तो उक्त दस्तावेजात के अवलोकन से यह साबित है कि राजस्व रिकॉर्ड में वादी संख्या

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

1 का नाम सुगनाकंवर पत्नी मोहनसिंह तथा वादी संख्या 2 का नाम पहलादसिंह पुत्र मोहनसिंह अशुद्ध नाम है, वादी संख्या 1 का सही व शुद्ध नाम सुगन कंवर पत्नी मोहन सिंह तथा वादी संख्या 2 का सही व शुद्ध नाम प्रहलाद सिंह पुत्र मोहन सिंह है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जाकर वादीगण अपना सही व शुद्ध नाम वादी संख्या 1 सुगन कंवर पत्नी मोहन सिंह तथा वादी संख्या 2 प्रहलाद सिंह पुत्र मोहन सिंह की घोषणा करवाने के अधिकारी है।वादीगण का घोषणात्मक दावा स्वीकार किया जाकर डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वादीगण का घोषणात्मक दावा अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है कि वर्तमान खेत खसरा संख्या 162 (एक सौ बासठ), खेत खसरा संख्या 33 खेड़ा (तैंतीस), खेत खसरा संख्या 95 (पिचानवे) वाके रोही ऊंटालड़ के राजस्व रिकॉर्ड में वादी संख्या 1 का नाम सुगनाकंवर पत्नी मोहनसिंह तथा वादी संख्या 2 का नाम पहलादसिंह पुत्र मोहनसिंह अशुद्ध नाम है, जिसे दुरूस्त किया जाकर वादी संख्या 1 का सही व शुद्ध नाम सुगन कंवर पत्नी मोहन सिंह तथा वादी संख्या 2 का सही व शुद्ध नाम प्रहलाद सिंह पुत्र मोहन सिंह दर्ज किये जाने का प्रतिवादी संख्या 1 को आदेश दिया जाता है। मुताबिक निर्णय व डिक्री राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना—अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 17-7-25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू
सत्यमेव जयते

(अमीलाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

अन्तिम डिक्री व इब्तदाई

(ऑर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

[Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1]

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बीदासर व इजलास अमीलाल यादव आर. ए. एस.

सुगन कंवर बनाम राजस्थान सरकार

दावा घोषणात्मक

राजस्व वाद संख्या :– 96 / 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू हाजरी श्री गोर्वधन सिंह राठौड़ वकील वास्ते वादीगण मिनजानिब मुद्दई व राजपैरोकार उपस्थित, श्री अमर सिंह राठौड़ प्रतिवादी सं. 2 ता 9 की ओर से उपस्थित, प्रतिवादी सं. 10 व 11 के विरूद्ध एक तरफा मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अंतिम डिक्री दी जाती है कि वर्तमान खेत खसरा संख्या 162 (एक सौ बासठ), खेत खसरा संख्या 33 खेड़ा (तैंतीस), खेत खसरा संख्या 95 (पिचानवे) वाके रोही ऊंटालड़ के राजस्व रिकॉर्ड में वादी संख्या 1 का नाम सुगनाकंवर पत्नी मोहनसिंह तथा वादी संख्या 2 का नाम पहलादसिंह पुत्र मोहनसिंह अशुद्ध नाम है, जिसे दुरूस्त किया जाकर वादी संख्या 1 का सही व शुद्ध नाम सुगन कंवर पत्नी मोहन सिंह तथा वादी संख्या 2 का सही व शुद्ध नाम प्रहलाद सिंह पुत्र मोहन सिंह दर्ज किये जाने का प्रतिवादी संख्या 1 को आदेश दिया जाता है। मुताबिक निर्णय व डिक्री राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अन्तिम डिक्री की पालना बाबत तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे।

चीज........—........मुबलिग........—........बाबत........—........खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह ....—........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक........—........को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ....17-7-25....

दस्तखत........

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

ओहदा........

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलाई	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोटः खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर